न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 54/2015/अपील

1. रामपाल उम्र 38 साल पुत्र छोटूराम
2. मैनपाल उम्र 32 साल पुत्र छोटूराम
3. शंकरलाल उम्र 28 साल पुत्र छोटूराम
4. सुरेन्द्र उम्र 25 साल पुत्र छोटूराम
5. श्रीमति नर्बदा देवी उम्र 65 साल पत्नि छोटूराम

} समस्त जाति जाट निवासी चला तहसील नीमकाथाना

6. बनारसी देवी पत्नि मोहनलाल पुत्री छोटूराम जाति जाट निवासी ढाणी मीया की तन शिशुराणोली जिला सीकर
7. मंजू देवी पुत्री छोटूराम पत्नि शंकरलाल जाति जाट निवासी लाखनी जिला सीकर

अपीलान्टस

बनाम

1 रामोतार पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बन्धावालीमावन्डा खुर्द तह. नीमकाथाना

2 रामनारायण उर्फ नारायण सिंह पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी चला तहसील नीमकाथाना

3 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 11.12.2013 द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना

निर्णय **दिनांकः—06.07.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता छोटूराम रेस्पोडेन्ट नं. 2 रामनारायण उर्फ नारायण सिंह दोनो सगे भाई थे। तथा दोनो कालूराम की सन्तान है। छोटूराम की मृत्यु हो जाने के बाद अपीलान्ट उसके वारिस है। ग्राम चला में कुआ अलमशहूर तूतावाली के नीचे पुराना ख. नं. 1812 नया ख.न. 1228 पुराना ख.नं. 1813 नया ख.नं. 1229 पुराना ख.नं. 1808 नया ख.नं 1224 पुराना ख.नं. 1579 नया ख.नं. 1462, 1463 पुराना ख.नं. 1581 नया ख.नं. 1465 पुराना ख.नं. 1582 नया ख.नं. 1466 पुराना ख.नं. 1583 नया ख.नं. 1467 पुराना ख.नं. 1584 नया ख.नं. 1468, 1469 कुल पुराने ख.नं. 5 किता रकबा 2.98 है0 तथा नये ख.नं. 7 किता रकबा 2.98 है. कृषि भूमि ग्राम चला तहसील नीमकाथाना में स्थित है। इस कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 2 का 1.02 है0 की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी, शेष रकबा 1.96 है0 मूरली देवी पत्नि हरलाल सिंह के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्टस स्वयं मूरलीदेवी के बीच अपीलान्ट की सहमति से आपसी विभाजन होने के पश्चात नये ख.नं. 1465 रकबा 0.14 है0 ख.नं. 1467 रकबा 0.30 है0 ख.नं.1468/1 रकबा 0.56 है0 ख.नं. 1469 रकबा 0.02 है. कुल 4 किता रकबा 1.02 है0 अपीलान्टस की सहमति से विभाजन होकर शेष कृषि भूमि ख.नं. 1462, 1463,1466,1468/2 कुल 4 किता रकबा 1.96 है. श्रीमती मूरली देवी के हक में चला गया। ओर इसी प्रकार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया गया दिनांक 17.01.1992 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जा खाते दारी समझोते में स्वीकार कर दस्तावेज तहरीर कर दिया । छोटूराम उक्त जमीन में अपने मकानात आदि बनाकर कृषि भूमि को बतोर खातेदार काश्तकार काश्त करता आ रहा है। तथा विधुत संबंध प्राप्त कर रखा है। वर्तमान में भी अपीलान्ट ने बाजरा, गुवार मुंग की काश्त कर रखी है। छोटूराम की मृत्यु के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज जमीन चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 के हक मे दिनांक 3.7.13 को उक्त भूमि का अवैध बैनाम तहरीर कराकर पंजीकृत करा देने पर अपीलान्ट ने उक्त बैनामे के निरस्त करने का बाद माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमकाथाना में दिनांक 19.11.13 को प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 दिनांक 3.12.13 को न्यायालय ए.डी.जे. नीमकाथाना में स्थित होने व बाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन की बहस सुनी जाकर न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द किया गया। न्यायालय ए.डी.जे. नीमकाथाना का स्थगन आदेश होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुये वादग्रस्त कृषि भूमि का अवैध आधार पर नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 11.12.2013 तस्दीक कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की वास्तविक कब्जे काश्त की जांच किये बिना इन्तकाल स्वीकार कर लिया गया एवं इस बाबत अपीलांटस को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु कोई सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 67 ग्राम चला को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी के सम्बंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना का स्थगन आदेश होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है एवं अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई। बिना मौके की जांच किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना में विचाराधीन प्रकरण रामपाल बनाम रामोतार की फर्द अहकाम दिनांक 21.11.2013 से 07.07.2014 की फोटो प्रति उपलब्ध है। अपील मेमो में अंकित तथ्यों अनुसार न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना के फर्द अहकाम दिनांक 21.11.2013 से 07.07.2014 में जारी स्थगन आदेश में अपीलाधीन नामान्तकरण से सम्बंधित खसरा नम्बरों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त फर्द अहकाम दिनांक 21.11.2013 से 07.07.2014 की फोटो प्रति प्रमाणित नहीं है। अप्रमाणित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में नहीं लिये जा सकते है। इसके अतिरिक्त अपीलांट के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई ऐसा तथ्य पेश किया है, जिससे यह जाहिर हो कि अपीलाधीन नामान्तकरण किसी उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद तस्दीक किया गया हो। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों और चाहे गये अनुतोष की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/18

(जय प्रकाश)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official